उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्या- 06/2023/ /001/39 (2)/23-12-2023-549/2017

दिनांकः 01 फरवरी, 2023

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश अपलोड करने की वेबसाइट पर पीडीएफ में अपलोड किये गये वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 06 चालू कार्यों से सम्बन्धित शासनादेश सं0-04/2023/ /001-39-23-12-2023-549-2017, दिनांक 31.01.2023 अपलोड किया गया है, जिसमें क्रम सं0-3 (कालम-2) पर अंकित 01 चालू कार्य (बी0के0 के मार्ग से अहमदनगर असौली मिर्जापुर सोरहा होते हुए भूढ खितौरा मार्ग किमी0 1 से किमी0 12 (500) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य) की कार्यदायी संस्था का नाम टंकण त्रुटिवश प्रा0ख0, बदायूँ टंकित हो गया है, जो वास्तव में नि0ख0, बदायूँ है।

अतः उक्त शासनादेश के प्रथम पृष्ठ पर अंकित तालिका के क्रम सं0-3 (कालम-2) में अंकित प्रा0ख0, बदायूँ के स्थान पर नि0ख0, बदायूँ पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश सं0-04/2023/ /001-39-23-12-2023-549-2017, दिनांक 31.01.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

सं0- 06/2023/ /001-39(3)/23-12-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in